जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ / प्रशा0 / स्था0 / 2023 / 7584 दिनांक 02/11/2023

/ / कार्यालयीन आदेश / /

प्रायः यह देखने में आया है कि, विश्वविद्यालय में कार्यरत् कर्मचारी अपने से संबंधित प्रकरण की पत्रावलियाँ स्वयं या अन्य कर्मचारियों के माध्यम से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होते है उनका यह कृत्य नियमों के प्रतिकूल होकर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

अतः विश्वविद्यालय के समस्त शाखा प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि, वे अपनी सीट से संबंधित पत्रावलियों को विधिवत रजिस्टर में अंकित कर जावक शाखा के माध्यम से संबंधित विभाग में भेजे साथ ही शाखा से संबंधित समस्त रिकार्ड संधारित रखें।

आदेश प्रसारित होने के उपरान्त यदि कोई कर्मचारी स्वयं से संबंधित पत्रावली अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करता है तो संबंधित शाखा प्रभारी एवं संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि

1. समस्त विभागाध्यक्ष / समन्वयक / निर्देशक / अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. समस्त अधीक्षक / शाखा प्रभारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)